FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. सरकार बनाम सुरेश यादव सेशन प्रकरण संख्या – 34/2023(46/2023), सीआईएस संख्या – 34/2023	Brief note of Compliance of Order
04.04.2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त सुरेश यादव जेसी से जरिये वीसी उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्त उपस्थित। परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने कथन किए गए हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट 63/2023 अंतर्गत धारा 341, 302, 307, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/25(1)(i–B), 5/27 व 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज की गई है। परिवादी राजेन्द्र ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट व पुलिस बयानों में दिनांक 14.03.2023 को तथाकथित घटना होना बताया है एवं उसमें परिवादी का दिनांक 14.03.2023 को घटनास्थल पर मौजूद होना बताया है। अभियेाजन पक्ष की गवाह सूची में नाम के बाद उसका मोबाइल नंबर 7300094300 अंकित है। उक्त प्रकरण में परिवादी राजेन्द्र के उक्त मोबाइल की दिनांक 14.03.2023 की टावर लोकेशन व कॉल डिटेल्स मंगवाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी मोनिका यादव के मोबाइल नंबर 9694459059 की भी दिनांक 14.03.2023 की कॉल डिटेल्स व टावर लोकेशन मंगवाये जाने का निवेदन किया। अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक–दृष्टांत 2024(4)CJ (Cri.) (Raj.) 2046 Mala Ram Vs. State of Rajasthan पेश किया गया। उक्त प्रार्थना का अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादी द्वारा कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। दौराने बहस अपर लोक अभियोजक व परिवादी ने कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रकरण में भिन्न–भिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में विलंब कारित किए जाने का कार्य किया जा रहा है जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अभियुक्त की जमानत याचिका को विड्रो करने पर प्रकरण में परिवादी राजेन्द्र व उसकी माता शांति देवी के बयान प्राथमिकता से लेखबद्ध करने के माननीय न्यायालय ने निर्देश दे रखे है। प्रार्थी/अभियुक्त ने जरिये प्रार्थना पत्र जिन मोबाइल नंबरों की दिनांक 14.03.2023 की कॉल डिटेल्स व टॉवर लोकेशन तलब किए जाने का निवेदन किया है उसका कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त एक साल की कॉल का ही सिस्टम में रिकोर्ड संग्रहित होता है बाद में स्वतः डिलीट हो जाता है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया। अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक–दृष्टांत 2022(1)CJ (Cri.) (Raj.) State of Rajasthan Vs. Deepal Kumar & Ors. प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। परिवादी एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक–दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र परिवादी राजेन्द्र व उसकी पत्नी के मोबाइल नंबरों की दिनांक 14.03.2023 की कॉल डिटेल्स व टावर लोकेशन तलब	

किए जाने का निवेदन किया है। धारा 91 सीआरपीसी के तहत उन दस्तावेजों का तलब करवाया जा सकता है जो प्रकरण में आवश्यक एवं सुसंगत हो। प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी के दिनांक 14.03.2023 को तथाकथित घटनास्थल पर मौजूद होने के संबंध में तहरीरी रिपोर्ट एवं पुलिस बयानों में अंकन होने से उन्हे उनके मोबाइल नंबरो की काल डिटेल्स व टावर लोकेशन को तलब करवाना चाहा है जबकि न्यायालय में परिवादी से अभियुक्त की ओर से जिरह नहीं की गई है। परिवादी राजेन्द्र ने अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं होकर के भिन्न स्थान पर हो ना ही इस संदर्भ में अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य दौराने जिरह पेश की गई है कि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं होकर के भिन्न स्थान पर उपस्थित हो। अतः ऐसी स्थिति में जबकि परिवादी की स्वयं की पूर्ण साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हुई है अभियुक्त द्वारा बरवक्त घटना परिवादी के अन्यत्र उपस्थिति बाबत कोई साक्ष्य परिवादी जिरह में पेश नहीं की गई है। अतः उक्त कॉल डिटेल को इस संबंध में कि परिवादी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था को मंगवाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने अपनी लिखित रिपोर्ट एवं पुलिस बयानों में उक्त मोबाइल बरवक्त घटना स्वयं के पास रहा हो ऐसा कोई कथन नहीं किया है। यदि बरवक्त घटना उक्त मोबाइल परिवादी द्वारा संधारित नहीं किया जा रहा था तब उक्त मोबाइल के आधार पर उसकी लोकेशन को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के द्वारा जो न्यायिक–दृष्टांत प्रस्तुत किए गए है उक्त न्यायिक–दृष्टांत में चार गवाहों की साक्ष्य होने के उपरांत, उक्त गवाहों द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं का भिन्न स्थान पर उपस्थित होने का तथ्य स्वीकार किया है व उक्त तथ्यों को सत्यापित करने के आशय से उनकी कॉल डिटेल को तलब करवाया गया है परंतु हस्तगत प्रकरण में परिवादी की साक्ष्य ही लेखबद्ध नहीं की गई है ना ही प्रतिपरीक्षण हुआ है ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा 161 सीआरपीसी के पुलिस बयान में घटनास्थल से भिन्न स्थान पर परिवादी ने स्वयं के उपस्थित होने बाबत कथन किया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक–दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों पर चस्पा नहीं होते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की ओर से जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह मात्र प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से पेश किया जाना प्रकट होता है जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को विड्रो किए जाने पर प्रकरण में परिवादी व उसकी माता के बयान प्राथमिकता से लेखबद्ध किए जाने के आदेश दिए गए है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। गवाह राजेन्द्र व शांति देवी को परिवादी अधिवक्ता आईन्दा तारीख पेशी पर पेश करे। गवाह के आईन्दा पेशी पर आने पर आवश्यक रूप से जिरह की जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 19.04.2025 को पेश हो। अभियुक्त की जेसी अवधि बढ़ाई गई।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।